इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2016—पौष 25, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्र. 981-18-इक्कीस-अ-(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12 जनवरी, 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २०१६

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, २०१५

[दिनांक १२ जनवरी, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १५ जनवरी, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ञ) में, शब्द "भाण्डागारिक" का लोप किया जाए.

धारा ३१ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ३१ में, शब्द "भाण्डागारिक" का लोप किया जाए.

धारा ३८ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ३८ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(२) मण्डी समिति निधि में के समस्त धन तथा उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट की गई अन्य राशियां जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में या डाकघर बचत बैंक में या राज्य सरकार के पर्सनल डिपाजिट खाते में निक्षिप्त की जाएंगी.".

धारा ४३ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ४३ में, उपधारा (७) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(७) मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि में प्राप्त हुए समस्त धन तथा अन्य राशियां, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में या डाकघर बचत बैंक में या राज्य सरकार के पर्सनल डिपाजिट खाते में निक्षिप्त की जाएंगी.".

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्र. 981-18-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 7 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 7 OF 2016.

THE MADHYA PRADESH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2015.

[Received the assent of the Government on the 12th January, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 15th January, 2016.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015.

Amendment of section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (1), in clause (j), the word "warehouseman" shall be omitted.

Amendment of section 31.

3. In section 31 of the principal Act, the word "warehouseman" shall be omitted.

Amendment of section 38.

4. In Section 38 of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) All moneys in the market committee fund and other sums specified in sub-section (1) shall be deposited in a District Central Co-operative Bank or Madhya Pradesh State Co-operative Bank Limited or Post Officer Saving Bank or State Government's Personal Deposit Account.".

Amendment of section 13.

5. In Section 43 of the principal Act, for sub-section (7), the following sub-section shall be subtituted, namely:—

"(7) All mopneys received into the Mahdya Pradesh State Marketing Development Fund and other sums shall be deposited in District Central Co-operative Bank or Madhya Pradesh State Co-operative Bank Limited or Post Office Saving Bank or State Government's Persoanl Deposit Account.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.